निबंधन संख्या पी०टी०-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1944 (श०)
(सं० पटना 57) पटना, शुक्रवार, 13 जनवरी, 2023

विधि विभाग

अधिसूचना
13 जनवरी, 2023

सं० एल०जी०—01—19/2022/372 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक—08 जनवरी, 2023 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022

[बिहार अधिनियम 04, 2023]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय.समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :—चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा–8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत–गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**—

(i) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022" कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा–8 का संशोधन** ।—उक्त अधिनियम, की धारा–8 में परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगा:—**"परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।"**

13 जनवरी, 2023

सं० एल०जी०–01–19/2022/373 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2023 को अनुमत बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 04, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रूद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2022
[Bihar Act 04, 2023]
AN
ACT
to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014
(Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, Bihar Technical Service Commission is created by the Bihar Technical Service Commission Act, 2014, and the amendment in the section-8 is appropriate in the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement –

(i) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2022".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(iii) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in Section-8 of Bihar Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) :-A proviso shall be added in the section-8 of the said act as follows:-

"Provided that, The Commission may select and recommend for appointment to all posts of specialist Medical officers of Bihar Health Service Cadre and Bihar Medical Education Service Cadre."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 57-571+400-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in